

कार्यालय कलेक्टर (पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण) जिला विदिशा म0प्र0

ई-मेल आई.डी. कइरूअपकणउचणहवअण्पद दूरभाष नम्बर 07592-233648

**बिन्दु क्रं0:-(1) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य :-**

- (1) सहायक संचालक
- (2) निरीक्षक
- (3) कनिष्ठ लेखाधिकारी
- (4) लेखापाल
- (5) सहायक ग्रेड-2
- (6) सहायक ग्रेड-3
- (7) कम्प्यूटर ऑपरेटर (आउट सोर्सिंग)
- (8) भृत्य

भारत शासन एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभाग से संबंधित विभिन्न जनकल्याण कारी योजनायें पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति, मेधावी छात्रवृत्ति, सिविल सेवा प्रोत्साहन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत पात्रतानुसार विद्यार्थियों हितग्राहियों को लांभावित किया जाना।

**बिन्दु क्रं0:-(2) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य:-**

क्रं0	नाम	पदनाम	कर्तव्य
1	श्री अब्दुल शरीफ कुरैशी	सहायक संचालक	जिले में संचालित विभागीय योजनाओं एवं निर्देशन का परिपालन एवं प्रशासन नियंत्रण
2	श्री इमरतसिंह आर्य	निरीक्षक	विभागीय योजनाओं के संबंध में क्षेत्र का भ्रमण एवं निरीक्षण एवं समस्त नस्तियों का नियंत्रण
3	श्रीमति गायत्री शर्मा	सहायक ग्रेड-2	स्थापना, लेखा एवं पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रभार
4	श्री आशीष सक्सेना	सहायक ग्रेड-3	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन एवं अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का प्रभार
5	कु0 ज्योति महावर	कम्प्यूटर ऑपरेटर	समस्त विभागीय कम्प्यूटर कार्य
6	श्रीमति गिरजाबाई अहिरवार	भृत्य	कार्यालयीन भृत्य

**बिन्दु क्रं0:-(3) निश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तर दायित्व के माध्यम से सम्मिलित हैं।:-**

शाखा प्रभारी	निरीक्षक	निर्णयकर्ता (सहायक संचालक)	उत्तरदायी (सहायक संचालक)
--------------	----------	-------------------------------	-----------------------------

**बिन्दु क्रं0:-(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान:-**

शासन द्वारा प्रदत्त नियम निर्देशों के तहत कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।

**बिन्दु क्रं0:-(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख:-**

शासन द्वारा प्रदत्त नियम निर्देशों के अनुसार शासकीय सेवकों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।

बिन्दु क्र०:-(6) ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण।

क्र०	दस्तावेज	धारक/नियंत्रणाधीन
1	संचालित योजनाओं के संबंध में निरीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार करना	श्री इमरतसिंह आर्य (निरीक्षक)
2	सेवा पुस्तिका/लेखा/पिछड़ा वर्ग पो. मै.छात्रवृत्ति	श्रीमति गायत्री शर्मा
3	स्वरोजगार योजना/सिविल सेवा प्रोत्साहन/अ.स. छात्रवृत्ति	श्री आशीष सक्सेना

बिन्दु क्र०:-(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियों जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्य से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है :-

नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श का प्रावधान नहीं है।

बिन्दु क्र०:-(8) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के लिये कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी विवरण:-

(1) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत जिला स्तरीय चयन समिति

(2) प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति

(3) छात्रावास संचालन हेतु समिति

बैठक में जनता भाग नहीं ले सकती है।

बिन्दु क्र०:-(9) अधिकारी एवं कर्मचारी की निर्देशिका

क्र०	नाम	पदनाम	फोन/मोबाईल न०
1	श्री.ए.एस.कुरैशी	सहायक संचालक	9425443106
2	श्री इमरतसिंह आर्य	निरीक्षक	9755844219
3	श्रीमति गायत्री शर्मा	सहायक ग्रेड-2	9907297768
4	श्री आशीष सक्सेना	सहायक ग्रेड-3	9893611694
5	श्रीमति गिरजा बाई	भृत्य	8358845920

बिन्दु क्र०:-(10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक परिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो:-

क्र०	नाम	पदनाम	मासिक परिश्रमिक
1	श्री.ए.एस.कुरैशी	सहायक संचालक	53514 / -
2	श्री इमरतसिंह आर्य	निरीक्षक	28359 / -
3	श्रीमति गायत्री शर्मा	सहायक ग्रेड-2	36804 / -
4	श्री आशीष सक्सेना	सहायक ग्रेड-3	26634 / -
5	श्रीमति गिरजा बाई	भृत्य	13664 / -

बिन्दु क्र०:-(11)सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरण पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट:-

वर्ष 2014-15

क्र०	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय
1	पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	9,01,26,831	9,01,26,831
2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	36,92,486	36,92,486
3	अ.स. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	3,17,000	3,17,000
4	सिविल सेवा प्रोत्साहन	85,000	85,000
5	मेधावी छात्रवृत्ति	30,000	30,000
6	छात्रावासों में सामग्री पूर्ति	4,98,970	4,98,970
7	छात्रावासों में लघु निर्माण	3,69,535	3,69,535

बिन्दु क्र०:-(12) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है:-

1. **पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक:-** उक्त योजनातर्गत समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्र पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क भुगतान किये जाने का प्रावधान है।
2. **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना:-**योजनातर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत होने पर 30 प्रतिशत अधिकतम रु0 2.00 लाख अनुदान राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
3. **अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति:-**समस्त शासकीय/अशासकीय शैक्षणिक संस्थामें अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 01 से महाविद्यालयीन स्तर तक पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क दिये जाने का प्रावधान है।
4. **सिविल सेवा प्रोत्साहन:-**संघ लोक सेवा/लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।
5. **पिछड़ा वर्ग पो.मै. छात्रावास:-**विभाग द्वारा संचालित 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास एवं 50 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास के छात्र/छात्रा कक्षा 11 से महाविद्यालयीन स्तर पर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु आवसीय सुविधा।
6. **मेधावी छात्रवृत्ति:-**कक्षा 10 एवं 12 वी में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त पिछड़ा वर्ग के एक-एक छात्र को पुरस्कार राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
7. **छात्र गृह योजना:-**जिले एवं विकासखण्ड स्तर कक्षा 11 से महाविद्यालयील स्तर पर अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों हेतु आवास व्यवस्था।

बिन्दु क्र०:-(13)अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं को विशिष्टियां:- विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के सम्पादन हेतु शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश मानक एवं प्राप्तिकर्ताओं का विवरण कार्यालय में उपलब्ध है।

बिन्दु क्र०:-(14)किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों:-

कार्यालय में उपलब्ध सूचनायें:- समस्त योजनाओं की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध है।

“बेटी है तो कल है।”

बिन्दु क्र०:- (15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है:- आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधायें पुस्तक, नियम निर्देशक कार्यालय में उपलब्ध है।

बिन्दु क्र०:- (16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ :-

लोक सूचना अधिकारी का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकार	प्रथम अपील अधिकारी	द्वितीय अपील अधिकार
श्री ए.एस.कुरैशी सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	श्री इमरतसिंह आर्य निरीक्षक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	कलेक्टर जिला विदिशा	आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म0प्र0

बिन्दु क्र०:- (17) ऐसी अन्य सूचना जो, विहित की जाए:-  
.....निरंक.....

सहायक संचालक  
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण  
जिला विदिशा

कार्यालय कलेक्टर (पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण) जिला विदिशा म0प्र0  
ई-मेल आई.डी. कइसूअपकणउचणहवअण्पद दूरभाष नम्बर 07592-233648

क्रमांक / पि.व.अ.स. / सू.अ. / 15-16 / 21

विदिशा दिनांक 05.01.2016

प्रति,

जिला अधिकारी  
एन.आई.सी. विदिशा

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी प्रेषित।

—00—

विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

सहायक संचालक  
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण  
जिला विदिशा